न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0.........../2014

(59)

R-2968-II/14

1— अमरनाथ सिह पिता श्री स्व0 राममनोहर सिह उम्र 75 वर्ष पेशा रिटायर कर्मचारी

2— अमरजीत सिह पिता श्री स्व0 राममनोहर सिह उम्र 70 वर्ष पेशा खेती दोनो निवासी ग्राम नैना थाना कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....निगराकारगण/आपत्तिकर्ता

बनाम

1— प्रचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0....................आवेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

2— सिया देवी श्रीवास्तव पत्नी श्री बुधेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पेशा गृहकार्य

3— महावीर प्रसाद पिता श्री बुधेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पेशा खेती

4— राजेन्द्र प्रसाद पिता श्री रघुदयाल श्रीवास्तव पेशा खेती सभी निवासी ग्राम कोठी तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0......गैरनिगराकार/अना0गण

श्री मुकेश भार्गव एडवो० द्वारा आज दि. 6-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12/8/2014 राजस्व प्रकरण क्रं0 7अ12/2012—13 न्यायालय भूअधीक्षक भूअभिलेख भूप्रबधन सतना जिला सतना म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

W3
मुकेश भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार/आपत्तिकर्ता निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :—

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य

1) यह कि गैर निगराकार क्रं0 1/आवेदक के द्वारा पटवारी हल्का के माध्यम से तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघु0 जिला सतना के न्यायालय मे एक प्रतिवेदन इस आशय का पेश करवाया गया था कि अराजी नं0 202/2 रकवा 1.651 हे0 अराजी शासकीय खेल का मैदान शिक्षा विभाग दर्ज अभिलेख है तथा सम्पूर्ण रकवा शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है उक्त प्रतिवेदन मे यह भी उल्लेख करवाया गया था कि उक्त आराजी के उत्तर एव पश्चिम

क्रमशः—2

अमरनाथ सिंह

अमरजीत

XXIX(a)-BR(H)-11

55

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2968-दो/14 जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त म.आ. सतना के प्रकरण क्रमांक 7अ/12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 12-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	